

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-8/गृहस्थल-04-04/2011-..... (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय - बिहार गृह स्थल क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिन परिवारों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष-2014-15 में वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल 334.27 लाख रुपये (तीन करोड़ चौतीस लाख सताईस हजार) रूपए उपबंधित राशि विभिन्न जिलों में व्यय की स्वीकृति।

आदेश - बिहार गृह स्थल क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिन परिवारों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष-2014-15 में वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल 334.27 लाख रुपये (तीन करोड़ चौतीस लाख सताईस हजार) रूपए उपबंधित राशि विभिन्न जिलों में व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. गृह स्थल योजना :-

| क्र0 | जिला का नाम | 2014-15 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि (रुपये लाख में) | अभ्युक्ति |
|------|-------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बक्सर | 10.00 | |
| 2 | सहरसा | 10.00 | |
| 3 | मधुबनी | 10.00 | |
| 4 | पटना | 10.00 | |
| 5 | गया | 10.00 | |
| 6 | अरवल | 8.00 | |
| 7 | मधेपुरा | 10.00 | |
| 8 | शिवहर | 8.00 | |
| 9 | नालन्दा | 8.00 | |
| 10 | भोजपुर | 10.00 | |
| 11 | कैमूर | 8.00 | |
| 12 | रोहतास | 8.00 | |
| 13 | जहानाबाद | 8.00 | |
| 14 | औरंगाबाद | 8.00 | |
| 15 | भागलपुर | 10.00 | |
| 16 | बाँका | 8.00 | |
| 17 | पू0 चम्पारण | 10.00 | |
| 18 | सीवान | 8.00 | |
| 19 | गोपालगंज | 8.00 | |
| 20 | समस्तीपुर | 8.00 | |
| 21 | मुंगेर | 8.00 | |
| 22 | खगड़िया | 8.00 | |

कृ०पू०उ०

| | | | |
|------------|------------|--------|--|
| 23 | शेखपुरा | 8.00 | |
| 24 | किशनगंज | 10.00 | |
| 25 | कटिहार | 8.00 | |
| 26 | अररिया | 8.00 | |
| 27 | बेगूसराय | 8.00 | |
| 28 | दरभंगा | 10.00 | |
| 29 | सीतामढ़ी | 8.00 | |
| 30 | मुजफ्फरपुर | 10.00 | |
| 31 | नवादा | 8.00 | |
| 32 | सारण | 10.00 | |
| 33 | वैशाली | 8.00 | |
| 34 | लखीसराय | 8.00 | |
| 35 | पूर्णियाँ | 10.00 | |
| 36 | जमुई | 8.00 | |
| 37 | सुपौल | 8.27 | |
| 38 | प0 चम्पारण | 10.00 | |
| कुल योग :- | | 334.27 | |

(तीन करोड़ चौतीस लाख सताईस हजार) मात्र।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में गृह स्थल योजना के लिए 334.27 लाख रुपये का उद्घ्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है।

4. गृह स्थल योजना के लिए राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं एवं पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0104-गृह विहिन परिवारों के लिए गृह निर्माण, माँग सं0-40, विपत्र कोड-P4047007890104, विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. विभागीय संकल्प सं0-373(8) दिनांक-20.11.2014 द्वारा एम0भी0आर0 के आधार पर रैयती भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

6. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि0) दिनांक-17.04.1998 तथा संशोधित पत्रांक-6720(वि0) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जायेगा।

7. राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।

9. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

क०प०उ०

ज्ञापांक-8/गृहस्थल-04-04/2011- (8)/रा0. पटना-15, दिनांक-.....
 प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
 बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
 (व्यास जी),
 प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गृहस्थल-04-04/2011- 454 (8)/रा0. पटना-15, दिनांक- 17/12/14
 प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता, बिहार/सम्बन्धित सभी जिला कोषागार
 पदाधिकारी, बिहार/बजट शाखा-5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार. पटना को सूचना एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ankw
 (व्यास जी),
 प्रधान सचिव।
 16-12

Email